विषय :— केसों के निपटान में विलम्ब-परिहार के प्रश्न पर विचार करने के लिये 29-9-71 को हुई सभी प्रशासकीय सचिवों की बैठक-सरकारी कार्य निपटान में विलम्ब की समाप्ति ।

क्या वित्तायुक्त, राजस्व तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार कृपया इस विभाग के अ०शा० क्रमांक 1047-5 ए० आर०-71, दिनांक 9-6-71 की ओर ध्यान देंगे ?

2. ऐसा देखने में आया है कि विलम्बित मामलों के बारे में मुख्य मन्त्री महोदय को प्रस्तुत की जाने वाली मासिक रिपोर्ट कुछ विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा रही है और कुछ अन्य विभागों के सम्बन्धित अधिकारी इन रिपोर्टों को तैयार करने में विशेष रुचि नहीं ले रहे हैं । जिसके कारण उनमें कई प्रकार की गलतियां पाई जाती हैं । अतः आपसे अनुरोध है कि ये मासिक रिपोर्ट नियमित रूप से तथा भली प्रकार से छानबीन कर प्रत्येक मास की 7 तिथि तक इस विभाग को अवश्य भेजी जाया करे । इन मासिक रिपोर्टों में केवल इतना ही कहना काफी न होगा कि अमुक मामला विचाराधीन है बल्कि यह भी बताया जाया करे कि अमुक मामला किस स्तर पर लम्बित है । इस सम्बन्ध में परिशोधित अनुबन्ध III संलग्न है ।

3. इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय किया गया है कि प्रशासकीय सचिव, एक महीने से अधिक लम्बित मामलों के बारे में हर मास अपने अधीन काम करने वाले शाखा अधिकारियों की बैठक बुलाया करें और इस सम्बन्ध में एक नोट मुख्य सचिव को प्रस्तुत किया करें जिसमें उन महत्वपूर्ण विषयों का ब्यौरा दिया जाये जिन पर बैठक में बात हुई हो ।

हस्ता०/-
अवर सचिव, रक्षा,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

(1) वित्तायुक्त, राजस्व, हरियाणा ।
(2) सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार

अशा० क्रमांक 2358-5ए० आर०-71 दिनांक, चण्डीगढ़ 3 नवम्बर, 1971
क्रमांक 2585-4ए०आर०-71/

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

आयुक्त, अम्बाला मण्डल और सभी उपायुक्त, हरियाणा ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 29 दिसम्बर, 1971

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट आफिस मैनुअल के अध्याय 3 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार आयुक्त तथा उपायुक्तों को हर 15 दिन के पश्चात् ऐसे विलम्बित केसों का एक विवरण प्रस्तुत किया जाना होता है जो उनके कार्यालयों द्वारा 7 दिन के अन्दर-अन्दर न निपटाये गये हों । इस विवरण में ऐसे केसों के न निपटाये जाने के कारण भी बताने होते हैं । इस पाक्षिक विवरण के अतिरिक्त महत्वपूर्ण लम्बित मामलों का एक और विवरण भी प्रस्तुत करना होता है जिसमें यदि कोई केस 15 दिन में अथवा केस के निपटान को निर्धारित अवधि में न निपटाया गया हो तो उसके कारणों का उल्लेख करना होता है ।

2. सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि डिस्ट्रिक्ट आफिस मैनुअल के उपबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है इस का नतीजा यह है कि आयुक्त तथा उपायुक्तों को उनके कार्यालयों में सारे विलम्बित मामलों की पूरी जानकारी नहीं होती । इसलिये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप सुनिश्चित करें कि भविष्य में डिस्ट्रिक्ट आफिस मैनुअल के इन उपबन्धों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जाये ताकि केस अनावश्यक तौर पर किसी स्तर पर न पड़े रहें ।

3. कृपया इसकी पावती भेजें ।

भवदीय,
हस्ता०/-
उपसचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।